वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 10.05.2025

रामनगर में वीडीए ने ध्वस्त कराई अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को रामनगर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने रसूलागंज में 6 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। अवर अभियंता अशोक कुमार यादव की देखरेख में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उधर, सारनाथ वार्ड में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पुलकोहना दनियालपुर पुराना पुल के पास हिरदन उर्फ मैनेजर जायसवाल की ओर से 75 वर्गमीटर में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जोनल अधिकारी प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार की देखरेख में कार्रवाई की गई। संवाद

अमर उजाला–दि0 10.05.2025

सुरों से सजा संगीत पाथवे

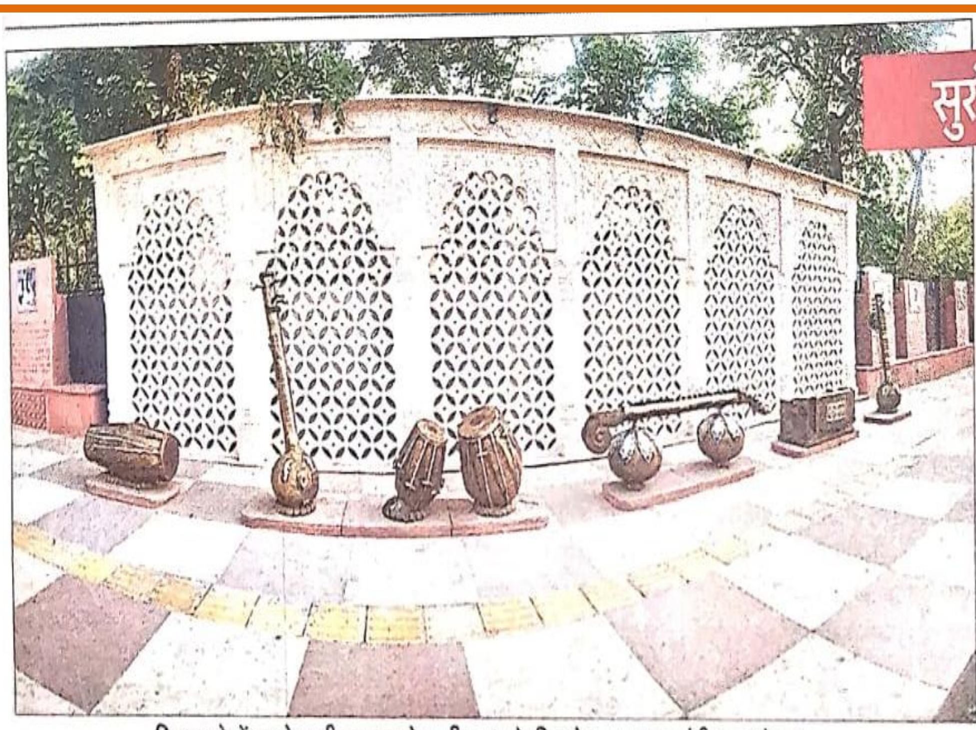

शिवपुर से सेंट्रल जेल की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे बनाया गया संगीत पाथवे। संवाद

वाराणसी। संस्कृति की सरगम से संगीत पाथवे को सजाया जा रहा है। वीडीए की ओर से सेंट्रल जेल रोड पर बना पाथवे आकर्षक है। भारतीय संगीत संस्कृति की झलक के साथ दिव्यांगों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक है। फुलवरिया तिराहा से आगे बढ़ने पर सेंट्रल जेल रोड पर ढोलक, सितार, गिटार और मृदंगम लगाए गए हैं। जो आकर्षण का केंद्र है। यहां सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। डेढ़ किमी क्षेत्र में बने इस प्रकार के संगीत पाथवे पर बनारस के संगीत घराना की झलक दिख रही है। यहां पर शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित छन्नूलाल मिश्र, राजन-साजन मिश्र, गिरिजा देवी सहित कई मशहूर संगीतकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 10.05.2025

दनियालपुर में वीडीए ने तोड़ी अवैध निर्माण की बाउंड्री

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के पुलकोहना दनियालपुर में हिरदन उर्फ मैनेजर जायसवाल को अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी करने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित था। उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उधर, जोन पांच के अवर अभियंता अशोक कुमार यादव ने बताया कि रामनगर वार्ड के रासुलागंज में छह बीघा में अवैध प्लाटिंग हो रही थी। बुलडोजर से बाउंड्री को तोड़ दिया गया। (जासं)

न्यायाधीश–दि0 10.05.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की अभिनव पहल

रिकॉर्ड रूम के दस्तावेज़ों और मानचित्रों के संरक्षण के लिए ठोस कदम

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) अपने कार्यालय स्थित रिकॉर्ड रूम में वर्षों से संरक्षित महत्वपूर्ण अभिलेखों, फाइलों एवं सजरा मानचित्रों के संरक्षण और रख-रखाव हेतु एक उल्लेखनीय पहल करने जा रहा है। इस दिशा में कार्य करने के लिए प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास को तकनीकी सहयोग हेतु जिम्मेदारी सौंपी है।छ्र्डैण्ण के निदेशक श्री धर्मेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम रिकॉर्ड रूम में संग्रहीत दस्तावेजों एवं मानचित्रों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण कर उनके भौतिक संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी। उल्लेखनीय है कि संरक्षण की जाने वाली फाइलों में कई दस्तावेज़ 1950 से भी पूर्व के हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।प्रस्तावित कार्य योजना में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने की दिशा में संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मानचित्रों एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव को सुनिश्चित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, कीट नियंत्रण की वैज्ञानिक प्रणाली को लागू किया जाएगा। IPM एक समग्र कीट प्रबंधन पद्धति है, जिसमें यांत्रिक, भौतिक, जैविक एवं आवश्यकता अनुसार न्यूनतम रासायनिक उपायों का संतुलन स्थापित कर दस्तावेजों को दीमक, कीड़े, फफूंद और अन्य कारकों से सुरक्षित रखा जाता है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ संग्रहित सामग्री की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।इस पहल को प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार) द्वारा अत्यंत आवश्यक एवं तार्किक मानते हुए सचिव एवं उपाध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। कार्य योजना को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही INTACH द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभिक चरण में है, जिससे कार्य शीघ्र गति पकड़ सके।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 10.05.2025

आधुनिक पद्धति से पत्रावलियों को रखा जायेगा सुरक्षित

विप्रा. रिकार्ड रूम में शुक्रवारको दस्तावेज और मानचित्रोंके सर्वेक्षणके लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गयी। इस पहल में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास को तकनीकी सहयोगके लिए जिम्मेदारी सौंपी गयी। यह संस्था कार्यालय में रिकार्ड रूम में संरक्षित रूम पर महत्वपूर्ण अभिलेख, फाइलों एवं सजरा मानचित्रों सर्वेक्षण और रखरखाव के लिए पहल करेगा। संस्था के निर्देशक धर्मेन्द्र मिश्रा ने कहा कि तीन रिकार्ड रूम में संग्रहित दस्तावेजों एवं मानचित्रों की वर्तमान स्थिति व सर्वेक्षण कर आवश्यक काररवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि वीडीए के पास १९५० के पूर्व भी कई दस्तावेज प्रशासनिक दृष्टि से उपयोगी हैं। प्रस्तावित कार्य में रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावशाली करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना इसी के माध्यम से अभिलेखों को सुसज्जित रखने के विषय में बताया जायेगा। इसके अतिरिक्त कीट नियंत्रण की वैज्ञानिक प्रणाली को लागू किया जायेगा। एक समग्रह कीट प्रबंधन पद्धति में यांत्रिक, भौतिक, जैविक आवश्यकताके अनुसार रासायनिक उपायों को संतुलित कर दस्तावेजों को दीमक, कीड़े अन्य से सुरक्षित रखा जायेगा। इस पहल को प्राधिकरण अधिकारी लेखागार ने अतिउपयोगी मानते हुए इसे उपाध्यक्ष महोदय को अनुमोदित कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस पद्धति से दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।

आज–दि0 10.05.2025

दो अनाधिकृत प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं ने सारनाथ क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध कारवाई की। यहीं पर मैनेजर जायसवाल नामक व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कर रहा था। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय अभियंता ने मौका मुआयना किया और शिकायत की पुष्टि भी की। शुक्रवार को जोनल अधिकारी प्रकाश, अवर अभियन्ता विनोद कुमार प्रवर्तन दल की टीम, क्षेत्रीय पुलिस की सहायता से निर्माणाधीन चहारदीवारी जेसीबी के सहायता से ध्वस्त कर दिया। इसीक्रम में रामनगर में मौजा–रासुलागंज में एक कास्टकार छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग करा रहा था।

हिन्दुस्तान–दि0 10.05.2025

वीडीए के 80 साल पुराने दस्तावेज सहेजे जाएंगे

- आधुनिक तरीकों से होगा रखरखाव
- इंटैक को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए के रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों, मानचित्रों को संरक्षित करने के लिए आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाएगा। इन दस्तावेजों में कई 1950 से पहले के हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इंटैक) को तकनीकी सहयोग जिम्मेदारी सौंपी है।

इंटैक के निदेशक धर्मेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम रिकॉर्ड रूम में संग्रहित दस्तावेजों एवं मानचित्रों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी और दस्तावेजों का डिजटलीरकण होगा। इसके अलावा कीट नियंत्रण के तहत केमिकल का प्रयोग करके दीमक, कीड़े, फफूंद आदि से कागजातों को बचाया जाएगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं।

न्यायाधीश–दि0 10.05.2025

वाविप्रा जोन-5 वार्ड रामनगर की प्रवर्तन टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5, वार्ड- रामनगर, के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड- रामनगर,के अंतर्गत अज्ञात द्वारा मौजा-रासुलागंज, , वार्ड- रामनगर, थाना -अदलहाट, जिला - मिर्जापुर में लगभग 6 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 09 .05.2025 को अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।मौके पर अवर अभियंता अशोक कुमार यादव व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 10.05.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की अभिनव पहल – रिकॉर्ड रूम के दस्तावेज़ों और मानचित्रों के संरक्षण हेतु ठोस कदम

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) अपने कार्यालय स्थित रिकॉर्ड रूम में वर्षों से संरक्षित महत्वपूर्ण अभिलेखों, फाइलों एवं सजरा मानचित्रों के संरक्षण और रख-रखाव हेतु एक उल्लेखनीय पहल करने जा रहा है। इस दिशा में कार्य करने के लिए प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (INTACH) को तकनीकी सहयोग हेतु जिम्मेदारी सौंपी है। INTACH के निदेशक धर्मेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम रिकॉर्ड रूम में संग्रहीत दस्तावेजों एवं मानचित्रों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण कर उनके भौतिक संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी। उल्लेखनीय है कि संरक्षण की जाने वाली फाइलों में कई दस्तावेज़ 1950 से भी पूर्व के हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावित कार्य योजना में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने की दिशा में संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मानचित्रों एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कीट नियंत्रण की वैज्ञानिक प्रणाली को लागू किया जाएगा। IPM एक समग्र कीट प्रबंधन पद्धति है, जिसमें यांत्रिक, भौतिक, जैविक एवं आवश्यकता अनुसार न्यूनतम रासायनिक उपायों का संतुलन स्थापित कर दस्तावेजों को दीमक, कीड़े, फफूंद और अन्य कारकों से सुरक्षित रखा जाता है द्य* यह विधि पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ संग्रहित सामग्री की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस पहल को प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार) द्वारा अत्यंत आवश्यक एवं तार्किक मानते हुए सचिव एवं उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। कार्य योजना को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही ड्डह्रञ्ष्ट॥ द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभिक चरण में है, जिससे कार्य शीघ्र गति पकड़ सके।

तरुणमित्र न्यूज–दि0 10.05.2025

वीडीए ने रिकॉर्ड रूम के दस्तावेज़ों और मानचित्रों के संरक्षण के लिए उठाया ठोस कदम

तरुणमित्र न्यूज

वाराणासी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) अपने उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशन में प्राधिकरण के कार्यालय स्थित रिकॉर्ड रूम में वर्षों से संरक्षित महत्वपूर्ण अभिलेखों, फाइलों एवं सजरा मानचित्रों के संरक्षण और रख-रखाव हेतु एक उल्लेखनीय पहल करने जा रहा है। इस दिशा में कार्य करने के लिए प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (INTACH) को तकनीकी सहयोग हेतु जिम्मेदारी सौंपी है। INTACH के निदेशक धर्मेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम रिकॉर्ड रूम में संग्रहीत दस्तावेजों एवं मानचित्रों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण कर उनके भौतिक संरक्षण (Physical Preservation) हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी। उल्लेखनीय है कि संरक्षण की जाने वाली फाइलों में कई दस्तावेज़ 1950 से भी पूर्व के हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रस्तावित कार्य योजना में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने की दिशा में संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मानचित्रों एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव को सुनिश्चित किया जाएगा इसके अतिरिक्त, कीट नियंत्रण (IPM – Integrated Pest Management) की वैज्ञानिक प्रणाली को लागू किया जाएगा। आईपीएम एक समग्र कीट प्रबंधन पद्धति है, जिसमें यांत्रिक, भौतिक, जैविक एवं आवश्यकता अनुसार न्यूनतम रासायनिक उपायों का संतुलन स्थापित कर दस्तावेजों को दीमक, कीड़े, फफूंद और अन्य कारकों से सुरक्षित रखा जाता है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ संग्रहित सामग्री की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस पहल को प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार) द्वारा अत्यंत आवश्यक एवं तार्किक मानते हुए सचिव एवं उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। कार्य योजना को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही INTACH द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभिक चरण में है, जिससे कार्य शीघ्र गति पकड़ सके।